

बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
भू-अर्जन प्रशाखा,
(अधिघोषणा)

पत्रांक.....18.12...../आर0, पटना, दिनांक.....16.....07.....13

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि किशनगंज जिला के किशनगंज अंचल अन्तर्गत मौजा -सुन्दरायण, थाना- किशनगंज, थाना नं० -110 के परगना-सुरजापुर, अंचल -किशनगंज, जिला - किशनगंज में जिला पदाधिकारी, किशनगंज के आवासीय परिसर के भीतर पड़नेवाली रैयती भूमि के भू-अर्जन के लिए सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसके लिए अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ मौजा - सुन्दरायण, थाना नं० - 110 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम्पोजेश कुल रकबा- 0 हेक्टेयर 27 एयर 49 पोवाईन्ट या 0 एकड़ 67 डीसीमल 90.03 कड़ी (लगभग-0.68 एकड़) के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

मौजा	थाना नं०/वार्ड नं०	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा			रकबा		
				हे०	ए०	पो०	ए.	डी.	कड़ी
सुन्दरायण	110/20	235	322	0	16	00	0	39	52.00
		148	323 क	0	01	59	0	3	92.73
		68	322/600	0	02	90	0	7	16.30
		32	322/601	0	02	80	0	6	91.60
		92	322/602	0	01	40	0	3	45.80
		140	322/603	0	01	40	0	3	45.80
		126	322/604	0	01	40	0	3	45.80
कुल::				0	27	49	0	67	90.03
				0.68 एकड़					

चौहद्दी :- उत्तर :- खेसरा संख्या-538 ख अंश, 533, 321 ग अंश
दक्षिण :- खेसरा संख्या-322 अंश
पूरब :- खेसरा सं० - 321 ग अंश
पश्चिम :- खेसरा संख्या-322 अंश, 323 क अंश

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, स्लेट, अन्य खनिज एवं खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो लिए जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 और अधिनियम, 18, 1885 की धारा 3 (क) खण्ड (1) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज के कार्यालय में कार्यालय दिवस देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Omprakash
समाहर्ता,
किशनगंज।

सरकार के सचिव,

ज्ञापांक.....-18.12/20...../भू-अर्जन, पटना, दिनांक.....16.....07.....13

- प्रतिलिपि :: निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिघोषणा की तीन प्रतियों सहित दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गजट, किशनगंज समाहरणालय के जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशित गजट की दस-दस (10-10) प्रतियाँ इस विभाग को एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: समाहर्ता, किशनगंज / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

Omprakash
सरकार के सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।